

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1865 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2018

श्री राजेश कुमार चकवर्ती आत्मज श्री दीपचंद चकवर्ती, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन गोगी कर्मचारी (Co-terminus basis) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का त्याग पत्र दिनांक 28.06.2018 अपराह्न से स्थीकृत किया जाता है।

इति -


(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/1866 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय जबलपुर
  3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
  4. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. अरिस्टेट रजिस्ट्रार, स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. अनुगाम अधिकारी, स्थापना/लेखा/बजट/पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
  9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  10. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/सी.पी.एफ./प्रोटोकाल अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  11. उपरिथिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  12. श्री राजेश कुमार चकवर्ती आत्मज श्री दीपचंद चकवर्ती, आकस्मिकता निधि रो वेतन पाने वाले दैनिक वेतन गोगी कर्मचारी (Co-terminus basis) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

  
28/6/18